

राजस्थान सरकार


निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/167-18/63-19/2019/ दिनांक.-

आदेश

निम्नांकित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर पूर्व में स्वीकृत अध्ययन अवकाश में निम्नानुसार संशोधन स्वीकृत किया जाता है:-

क्र स	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन स्थान	पूर्व में स्वीकृत अवकाश	सशोधित अवकाश
1	सरिता	उप स्वास्थ्य केन्द्र सुलखनिया, खण्ड रतनगढ, चूरु	निदेशालय के आदेश क्रमांक 555 दिनांक 29.03.19 के क्र सं 13 के बिन्दु सख्या 3 पर स्वीकृत अवकाश दिनांक 26.07.2020 से 09.07.2021 तक 258 दिवस का असाधारण अवकाश।	दिनांक 26.07.2020 से 09.04.2021 तक 258 दिवस का असाधारण अवकाश।
2	पमिला	उप स्वास्थ्य केन्द्र कादिया, खण्ड, रतनगढ, चूरु	निदेशालय के आदेश क्रमांक 555 दिनांक 29.03.19 के क्र सं 19 के बिन्दु सख्या 1 पर स्वीकृत अवकाश दिनांक 11.09.2018 से 10.09.2020 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश।	दिनांक 11.09.2018 से 10.09.2020 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश।

नोट.- निदेशालय के आदेश क्रमांक 555 दिनांक 29.03.2019 द्वारा स्वीकृत शेष अवकाश यथावत रहेगे।


(मुकुल शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/167-18/63-19/2019/ 788

दिनांक:- 30/4/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ, चूरु।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रतनगढ, चूरु।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।


(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ